CSIR-Institute of Microbial technology Sector 30A, Chandigarh-160036

No.12012/1/2024-MC

OFFICE MEMORANDUM

Dated: 14.02.2024

Sub: Reconstitution of Management Council of CSIR-IMTECH, Chandigarh for the period from 01.01.2024 to 31.12.2025.

In pursuance of CSIR letter No. 8(25)/2005-PD dated 12.02.2024, it is notified that the Director General, CSIR has been pleased to reconstitute the Management Council of CSIR-IMTECH, Chandigarh for the period from 01.01.2024 to 31.12.2025 as under Rule 65 of the CSIR Rules and Regulations:

| Sr. No. | Name of the nominee | Position |
|---------|---|------------------|
| 1. | Director, CSIR-IMTECH, Chandigarh | Chairperson |
| 2. | Dr. Karthikeyan Subramanian, Chief Scientist | Member |
| 3. | Dr. Barnali Chaudhuri, Senior Principal Scientist | Member |
| 4. | Dr. B. Devadatha, Scientist | Member |
| 5 | Dr. Easa Nagamalleswari, Scientist | Member |
| 6. | Ms. Paramjit Kaur, Principal Technical Officer | Member |
| 7. | Director, CSIR-CSIO, Chandigarh | Member |
| 8. | Head, PMBD | Member |
| 9. | CoFA/F&AO | Member |
| 10. | CoA/AO | Member-Secretary |

Functions of the Management Council are given below for your kind reference:

- I. To administer and manage the affairs and environs of the laboratory.
- II. To write off irrecoverable monetary losses and stores within the limits prescribed by CSIR.
- III. To recommend the resource allocation for R&D activities/facilities of Lab./Institute.
- IV. To monitor the progress of R&D and other activities of the Lab./Institute.
- V. To recommend devolution of powers to the Project Leaders for the proper implementation of the projects/activities.
- VI. To approve contract R&D, consultancy projects and licensing of IPR beyond the powers of Director.
- VII. To consider the annual report of the National Laboratory.
- VIII. To constitute selection committees and assessment committees for all Technical staff.
- IX. Any other matters as may be referred by the Director General, CSIR.

(Shankar Dass Rishi) Administrative Officer

Copy to:

- 1. All Concerned Officer
- 2. Senior Deputy Secretary, Policy Division, CSIR, New Delhi for information with reference to above referred letter.
- 3. All Staff through e-mail.
- 4. All Notice Board (s)

Administrative Officer

सीएसआईआर-सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान सैक्टर 39ए, चण्डीगढ,- 160036

संख्या :12012/1/2024-एमसी

दिनांक : 14.02.2024

कार्यालय जापन

विषय:- सीएसआईआर-सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान चण्डीगढ़ की प्रबंध परिषद् का दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2025 तक की अविध तक पुनर्गठन।

सीएसआईआर नई दिल्ली के पत्रांक 8/25/2005-पीडी, दिनांक 12.02.2024 के अनुसरण में अधिसूचित किया जाता है कि महानिदेशक, सीएसआईआर नई दिल्ली ने सीएसआईआर के नियम और विनियम के नियम 65 के अर्न्तगत सीएसआईआर- सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान चण्डीगढ़ के प्रबंध परिषद् का दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2025 तक दो वर्ष की अविध के लिए पुनर्गठन की सहर्ष अनुमोदन किया है। तदनुसार प्रबंध परिषद् के निम्न सदस्य होगें:-

| 1. | निदेशक, सीएसआईआर-इमटैक, चण्डीगढ़ | अध्यक्ष |
|-----|--|------------|
| 2. | डॉ. कार्तिकेयन सुब्रमण्यम, मुख्य वैज्ञानिक | सदस्य |
| 3. | डॉ. बरनाली चौधरी, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | सदस्य |
| 4. | डॉ. बी. देवदत्ता, वैज्ञानिक | सदस्य |
| 5. | डॉ. ईसा नागामल्लेशवरी, वैज्ञानिक | सदस्य |
| 6. | सुश्री परमजीत कौर, प्रधान तकनीकी अधिकारी | सदस्य |
| 7. | निदेशक, सीएसआईआर-सीएसआईओ, चण्डीगढ़ | सदस्य |
| 8. | प्रधान पीएमबीडी | सदस्य |
| 9. | वित्त एवं लेखा नियंत्रक अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी | सदस्य |
| 10. | प्रशासनिक नियंत्रक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी | सदस्य सचिव |
| | | |

प्रबंध परिषद् के कार्य:-

- (क) प्रयोगशाला के कार्यों व परिसर इत्यादि की देखरेख और संचालन।
- (ख) अपूरणीय धन संबंधी हानि तथा भण्डार को सीएसआईआर द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर बट्टे खाते में डालना।
- (ग) प्रयोगशाला/संस्थान के अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों/सुविधाओं के लिए संसाधन आबंटन की संस्तुति करना
- (घ) प्रयोगशाला/संस्थान के अनुसंधान एवं विकास व अन्य क्रियाकलापों की प्रगति का अनुवीक्षण ।
- (ङ) परियोजना / क्रियाकलापों के समुचित कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रमुखों को शक्तियां सौंपे जाने की सिफारिश करना।
- (च) संविदागत अनुसंधान एवं विकास, परामर्शी परियोजनाओं तथा आईपीआर के लाइसेंसीकरण, जो निदेशक की शक्तियों में नहीं है, को अनुमोदन प्रदान करना।
- (छ) राष्ट्रीय प्रयोगशाला के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना।
- (ज) सभी प्रकार के तकनीकी स्टाफ के लिए चयन समितियों तथा मूल्यांकन समितियों का गठन करना।
- (झ) महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य।

्रिंग् (शंकर दास ऋषि) प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1. सभी संबंधित अधिकारी
- 2. वरिष्ठ उप सचिव, नीति प्रभाग, सीएसआईआर, नई दिल्ली (उपरोक्त पत्रांक के सन्दर्भ में सूचना हेतु))
- 3. सभी कर्मचारी ई- मेल के माध्यम से
- 4. सभी नोटिस बोर्ड

प्रशासनिक अधिकारी